रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Secretariat Library

सं० 480] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 1974/अग्रहायण 4, 1896

No. 480] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 1974/AGRAHAYANA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th November, 1974

S.O. 673(E)/18FB/IDRA/74.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 726(E), dated the 27th November, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that (a) the enactments or portions thereof, as the case may be, specified in the Schedule of the said Order shall not apply to the undertaking known as Messrs Ganesh Flour Mills Company Limited (hereinafter referred to as the said undertaking) and (b) the operation of contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutinns) to which the said undertaking is a party, or which may be applicable to it immediately after the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations, liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended up to the 26th November, 1973;

And whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 707(E)/IDRA/73, dated the 22nd November, 1973, the duration of the said Order was extended up to the 26th November, 1974.

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by another one year commencing from the 27th November, 1974;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby further extends the duration of the said Order up to the 26th November, 1975.

[No. 4/12/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर 1974

सां०का० 673(अ)/18एफ बी/आई०डी०आर०ए०/74.—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 726 (ई) तारीख 27 नवम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित किया था कि (क) उक्त आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिनियमितियां या उनके भाग, मेसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) को लागू नहीं होंगे तथा (ख) सभी प्रवृत्त संविदाओं, सम्पत्ति-हस्तान्तरणपत्रों, करारों, व्यवस्थापत्रों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, (जो उनमें भिन्न है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं), जिनमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पश्चात् उसको लागू हों, प्रवर्तन और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं, और दायित्व, 26 नवम्बर 1973 तक निलंबित रहेंगे;

और यतः भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 707(ई)/आई डी आर ए/73 तारीख 22 नवम्बर, 1973 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 26 नवम्बर 1974 तक के लिए बढ़ा दी गई थी।

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 27 नवम्बर, 1974 से प्रारम्भ होने वाले एक वर्ष के लिए और बढ़ा देनी चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 10ख की उपधारा (2) के साथ पठित, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 26 नवम्बर, 1975 तक के लिए और बढ़ाती है।

[सं० 4/12/72-सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW